

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -1971
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय कामगारों की शिकायतें

1971. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्य देशों, विशेषकर मध्य पूर्व के देशों जैसे कुवैत, कतर आदि में भारतीय प्रवासी कामगारों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कामगारों के हितों को रखने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित सरकारों के संपर्क में रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कामगारों के संपर्क में रहने के लिए कोई मौजूदा तंत्र/ढांचा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) यह देखा गया है कि विदेशों में, विशेष रूप से मध्य पूर्वी देशों में, कुछ भारतीय श्रमिकों को कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश शिकायतें वेतन के भुगतान में विलंब या भुगतान न करने के साथ-साथ सेवा समाप्ति लाभों के भुगतान में विलंब या भुगतान न करने, पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से रखना, अधिक कार्य घंटे, छुट्टियों का प्रावधान न करना, ओवरटाइम मजदूरी न देना, भर्ती के समय किए गए वादे से भिन्न नौकरी प्रदान करना, कंपनियों के अचानक बंद होने के कारण बेरोजगारी, नियोक्ता बदलने में समस्या, आवास से संबंधित समस्या, वैध श्रम अधिकारों से इंकार करना, दुर्व्यवहार/उत्पीड़न, निवास परमिट जारी न करना/नवीनीकृत न करना, वीजा रद्द न करना, भारत जाने के लिए निकास/पुनः प्रवेश परमिट देने से इनकार करना, अनुबंध पूरा होने के बाद अंतिम निकास वीजा पर भारत लौटने की अनुमति न देना, चिकित्सा और बीमा सुविधाओं का प्रावधान न करना और मृत्यु पर मुआवजा न देना आदि से संबंधित हैं।

(ख) सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा उनके पास विदेशों में भारतीय कामगारों से प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र मौजूद है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर, विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र पीड़ित भारतीय कामगार को सहायता और

राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई और उचित उपाय करते हैं। मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तुरंत नियोक्ताओं/प्रायोजकों और भारत में भर्ती एजेंसियों के समक्ष उठाया जाता है। विवाद का समाधान नहीं होने पर मामले को श्रम, आव्रजन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष भी उठाया जाता है और समाधान होने तक उस पर कार्रवाई की जाती है। मिशन/केंद्र उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान और आवश्यकतानुसार वहाँ के विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के समक्ष भी इन शिकायतों को उठाते हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/करार मौजूद हैं जो श्रम एवं जनशक्ति से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विनिर्दिष्ट हितों की रक्षा के लिए, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के साथ घरेलू क्षेत्र के लिए श्रम सहयोग पर करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) सरकार ने विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय कामगार किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर मिशन/केंद्र से संपर्क कर सकें। कामगार वॉक-इन इंटरव्यू, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों, मदद, सीपीजीआरएएमएस और ई-माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। संकट में फंसे भारतीय कामगारों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद एवं जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

खाड़ी देशों में स्थित मिशनों/केंद्रों में समर्पित श्रमिक विंग भी हैं, जो श्रम संबंधी शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करती हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र नियमित रूप से सुदूर क्षेत्रों में भी ओपन हाउस और कौंसली शिविरों का आयोजन करते हैं, ताकि विदेशों में भारतीय कामगारों से बातचीत की जा सके, उनसे फीडबैक लिया जा सके और उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, का समाधान किया जा सके।
